संख्या : 04/2022/458/94-1-2022-312(36)/2022-(1617328)

प्रेषक,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 21 अप्रैल, 2022**

विषय : वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माहों (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1870/नौ-104/2022 दिनांक 12.04.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल महोदया चालू वित्तीय वर्ष 2020-23 के प्रथम चार माहों (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए आय-व्ययक अनुदान सं0-91 के लेखाशीर्षक 2030-01 स्टाम्प न्यायिक मतदेय मद में धनराशि रू0 489.45 लाख (रुपये चार करोड़ नवासी लाख पैतालिस हजार मात्र) एवं 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर में धनराशि रू0 5067.90 लाख (रुपये पचास करोड़ सड़सठ लाख नब्बे हजार मात्र) अर्थात मतदेय मद में कुल धनराशि रू0 5557.35 लाख (रुपये पचपन करोड़ सत्तावन लाख पैंतीस हज़ार मात्र), जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत रूप से दिया गया है, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

1- उपरोक्त धनराशियों को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का व्यय मदवार ही किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय के लिए अधिकार प्रदान नहीं करता, अतः जहाँ कहीं आवश्यक हो, व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के पत्र सं0-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29.03.2022 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3- व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के सम्बन्ध में बजट मैन्युअल में दिए गये निर्देशों एवं वित्त विभाग द्वारा जारी संगत शासनादेशों के प्राविधानो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० मैन्युअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ़ फाइनेंसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व धनराशि तत्काल अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माहों (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के अंतर्गत अनुदान सं0-91 के लेखाशीर्षक 2030 की निम्नलिखित सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के पत्र सं0-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/ 2022 दिनांक 29.03.2022 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं, जिसकी प्रति विभागाध्यक्षों को सम्बोधित की गई है। अतः कृपया उक्त आदेश में निहित निर्देश/प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
4- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या : 04/2022/458/94-1-2022-312(36)/2022-(1617328)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 01-स्टाम्प न्यायिक, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधिष्ठान

01- स्टाम्प न्यायिक

(धनराशि लाख रूपए में)

क्र0 सं0	लेखा शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान 2022-23	वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माहों (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	01- वेतन	43.26	14.42
2	03- मंहगाई भत्ता	16.01	5.34
3	04- यात्रा व्यय	0.60	0.20
4	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.17
5	06- अन्य भत्ते	0.50	0.17
6	07-मानदेय	0.01	0.00
7	08-कार्यालय व्यय	1.00	0.33
8	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.50	0.17
9	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.17
10	16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.20	0.40
11	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासिगिक व्यय	0.05	0.02
12	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.20	0.07
13	49-चिकित्सा व्यय	1.50	0.50
14	51-वर्दी व्यय	0.01	0.00
15	52-पुनरिक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
16	55-मकान किराया भत्ता	1.50	0.50
17	56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
18	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	0.33
	योग 03	**68.34**	**22.78**
19	01-स्टाम्प न्यायिक 101-स्टाम्पों की लागत 03-न्यायिक स्टाम्प 42-अन्य व्यय	500	166.67
	योग 101	**500**	**166.67**
20	01-स्टाम्प न्यायिक 102-स्टाम्पों की बिक्री 03-न्यायिक स्टाम्प 42-अन्य व्यय	900	300
	योग 102	**900**	**300**
	योग 01	**1468.34**	**489.45**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान सं0 91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधिष्ठान

02- स्टाम्प न्यायिकेत्तर

क्र0 सं0	लेखा शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान 2022-23	वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माहों (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	01- वेतन	72.10	24.03
2	03- मंहगाई भत्ता	26.68	8.89
3	04- यात्रा व्यय	0.75	0.25
4	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.05	0.02
5	06- अन्य भत्ते	0.50	0.17
6	07-मानदेय	0.10	0.03
7	08-कार्यालय व्यय	7.00	2.33
8	09-विद्युत देय	1.00	0.33
9	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.50	0.83
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	1.67
11	13-टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.17
12	16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.50	1.17
13	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.05	0.02
14	42-अन्य व्यय	0.01	0.00
15	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासिगिक व्यय	0.15	0.05
16	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.40	0.13
17	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.50	0.17
18	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धि स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.17
19	49-चिकित्सा व्यय	1.00	0.33
20	51-वर्दी व्यय	0.15	0.05
21	52-पुनरिक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
22	55-मकान किराया भत्ता	3.50	1.17
23	56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
24	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.75	0.92
	योग 03	**128.69**	**42.90**
25	02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर 101-स्टाम्पों की लागत 03-न्यायिक स्टाम्प 42-अन्य व्यय	9000.00	3000.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	लेखा शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान 2022-23	वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माहों (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) हेतु प्रस्तावित धनराशि
	योग 101	**9000.00**	**3000.00**
26	02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर 102-स्टाम्पों की बिक्री 03-न्यायिक स्टाम्प 42-अन्य व्यय	6000.00	2000.00
	योग 102	**6000.00**	**2000.00**
27	800-अन्य व्यय, 03-निवेश प्रमाण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण, 42-अन्य व्यय	70.00	23.33
	योग 800	**70.00**	**23.33**
28	02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर 800-अन्य व्यय 04-वाटर मार्क पेपर के बिक्री पर व्यय 42-अन्य व्यय	**5.00**	**1.67**
	योग 800	**5.00**	**1.67**
	योग 02	**15203.69**	**5067.90**

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।